न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी- श्री लोकेन्द्र चौधरी, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	-	**164/2016**
सी.आई.एस नंबर	-	**170/2016**
CNR No.	-	RJBR130002612016
निर्णय दिनाँक	-	**10.03.2026**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	-	**79/2016**
पुलिस थाना	-	**किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)**

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 336, 147,
सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता

PART-I

(A)

अभियोगी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री टीकाराम मीना, विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	(1) विनोद पुत्र बाबूलाल, उम्र 29 वर्ष, (2) बाबूलाल पुत्र बजरंगलाल, उम्र 60 वर्ष, (3) मोजीराम पुत्र बजरंगलाल, उम्र 55 वर्ष, (4) प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण, उम्र 55 वर्ष, (5) जोधराम पुत्र बजरंगलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासीगण- नयागाँव चंद्रपुरा, थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राधाबल्लभ नागर, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

(B)

अपराध की दिनाँक		27.03.2016
एफ.आई.आर. की दिनाँक		27.03.2016
आरोप पत्र की दिनाँक		12.04.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनाँक		12.04.2016
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		10.03.2026
निर्णय सुनाने की दिनाँक		10.03.2026
दण्डादेश (यदि हो तो)	**सुनवाई की दिनाँक**	-

(C)

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनाँक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनाँक	आरोपित अपराध	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बिताई अवधि

01.	विनोद	-	-	147, 341, 323, 336/ 149 IPC	336/149 IPC दोषमुक्त व 147, 341, 323/149 IPC दोषसिद्धि	चरण क्रम 34 व 35 में वर्णित	-
02.	बाबूलाल	-	-	147, 341, 323, 336/ 149 IPC	336/149 IPC दोषमुक्त व 147, 341, 323/149 IPC दोषसिद्धि	चरण क्रम 34 व 35 में वर्णित	-
03.	मोजीराम	-	-	147, 341, 323, 336/ 149 IPC	336/149 IPC दोषमुक्त व 147, 341, 323/149 IPC दोषसिद्धि	चरण क्रम 34 व 35 में वर्णित	-
04.	प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश	-	-	147, 341, 323, 336/ 149 IPC	336/149 IPC दोषमुक्त व 147, 341, 323/149 IPC दोषसिद्धि	चरण क्रम 34 व 35 में वर्णित	-
05.	जोधराम	-	-	147, 341, 323, 336/ 149 IPC	336/149 IPC दोषमुक्त व 147, 341, 323/149 IPC दोषसिद्धि	चरण क्रम 34 व 35 में वर्णित	-

PART-II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
PW-1	नरेन्द्र कुमार मीणा	परिवादी/मजरूब
PW-2	बालाराम	चश्मदीद साक्षी/मजरूब
PW-3	रामहेत	चश्मदीद साक्षी/मजरूब
PW-4	रामनिवास	चश्मदीद साक्षी/मजरूब
PW-5	सुनिता	चश्मदीद साक्षी/मजरूबा
PW-6	कालूलाल	चश्मदीद साक्षी
PW-7	धर्म सिंह	चश्मदीद साक्षी
PW-8	अजय	अन्य साक्षी
PW-9	घांसीलाल	चश्मदीद साक्षी
PW-10	डॉ. सतीश अग्रवाल	मेडिकल साक्षी
PW-11	राम सिंह मीणा	अनुसंधान साक्षी

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
DW-1	बाबूलाल	अन्य साक्षी

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्र. पी.1 पी.ड.01, 02, 11	लिखित तहरीरी रिपोर्ट
02.	प्र. पी.2 पी.ड.01, 11	चाक एफ.आई.आर.
03.	प्र. पी.3 पी.ड.01, 07, 08, 11	फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल 1
04.	प्र. पी.4 पी.ड.01, 07, 08, 11	फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल 2
05.	प्र. पी.5 पी.ड.06	पुलिस बयान गवाह कालूलाल
06.	प्र. पी.6 पी.ड.0	पुलिस बयान गवाह घांसीलाल
07.	प्र. पी.7 पी.ड.10	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब बालाराम
08.	प्र. पी.8 पी.ड.10	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूबा सुनीता बाई
09.	प्र. पी.9 पी.ड.10	एक्स-रे कवर नोट मजरूबा सुनीता बाई
10.	प्र. पी.10 पी.ड.10	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब रामनिवास
11.	प्र. पी.11 पी.ड.10	एक्स-रे कवर नोट मजरूब रामनिवास
12.	प्र. पी.12 पी.ड.10	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र परिवादी नरेन्द्र
13.	प्र. पी.13 पी.ड.10	एक्स-रे कवर नोट परिवादी नरेन्द्र
14.	प्र. पी.14 पी.ड.10	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब रामहेत

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्र. डी.1 डी.ड.01	चोट प्रतिवेदन प्रति मजरूब मोजीराम
02.	प्र. डी.2 डी.ड.01	न्या. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 2 बारां के निर्णय दिनाँक 12.03.2019 की प्रमाणित प्रति
03.	प्र. डी.3 डी.ड.01	प्रकरण संख्या 155/2016 में न्या. जिला एवं सेशस न्यायाधीश बारां की आदेशिका की प्रमाणित प्रति

04.	प्र. डी.4 डी.ड.01	चार्जशीट की प्रमाणित प्रति
05.	प्र. डी.5 डी.ड.01	एफ.आई.आर. नंबर 78/2016 थाना किशनगंज की प्रमाणित प्रति
06.	प्र. डी.6 डी.ड.01	पर्चा बयान मजरूब मोजीराम प्रमाणित प्रति
07.	प्र. डी.7 डी.ड.01	फर्द जप्ती एक साफी की प्रमाणित प्रति
08.	प्र. डी.8 डी.ड 01	फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटनास्थल की प्रमाणित प्रति

(C) न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	निल	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर क्रमांक एवं वर्णन
	निल		

- निर्णय - दिनाँकः 10.03.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनाँक 27.03.2016 को परिवादी/मजरूब नरेन्द्र पुत्र रामनिवास ने उपस्थित पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज सुबह 7-8 बजे वह घांसीलाल मीणा के यहाँ मोटरसाईकिल से ट्रोली लेने के लिए पूछने गया था। वापस घर आते समय रास्ते में माता जी की नीमड़ी के पास बाबूलाल मीणा के लड़के विनोद मीणा ने उसके सिर में दांयी तरफ अचानक गण्डासी की मारी, जिससे उसका सिर कट गया। वह घर आया तो पीछे से विनोद, बाबूलाल, मोजीराम, देवीराम, जोधराम, रामभरत, रामराज, चंदर बाई तथा बबलू मीणा आ गए, जिनके पास कुटिया, गण्डासी हथियार थे, जिन्होंने उसके घर पर एक राय होकर हमला कर दिया और पत्थर बरसाये, जिसमें बालाराम उसके मामा जी व उसकी मामी जी के चोटें आईं। देवीराम उसके मामा बालाराम के घर में घुस गया व उसकी मामी जी सुनीता बाई के साथ लामक-झूमा हो गया, ब्लाउज व पेटीकोट फाड़ दिए तथा बेईज्जत कर अपमानित किया। देवीराम ने उसके मामा जी के कुटिया की पीठ पर व दांये हाथ पर मारी, जिससे उनकी दांयी कोहनी के नीचे और दांये हाथ की अँगुली कट गई, खून निकल आया। रामनिवास, घांसीलाल, कालूलाल, रामबिलास ने बीच-बचाव किया तो इनमें से कुछ के चोटें आयीं। उसके चाचा रामहेत के भी पत्थरों से चोटें पहुँचायी, जो उनकी छाती पर लगी.....इत्यादि। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 79/2016 धारा 143, 452, 341, 323, 354 भा.दं.सं. के तहत पंजीबद्ध की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण विनोद, बाबूलाल, मोजीराम, प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश व जोधराम के विरूद्ध धारा 341, 323, 336, 147, सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में आरोप सारांश की विशिष्टियाँ को मौखिक रूप से सुनायी व समझायी गई तो अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन व समझ कर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन की ओर से उपरोक्त वर्णित साक्ष्य पेश की गई।

4. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान के साथ मारपीट की गई है, जिसकी पुष्टि सभी गवाहान के बयानों व मेडिकल साक्षी से होती है। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

6. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया कि अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है, बल्कि स्वयं फरियादी व मजरूबान अभियुक्तगण के घर पर लाठी-डण्डों से सुसज्जित होकर आये और अभियुक्तगण के साथ मारपीट की, जिसका प्रकरण धारा 308 भा.दं.सं. में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बारां में चला था, जिसमें हस्तगत प्रकरण के परिवादी व मजरूबान को दोषसिद्ध किया गया था, जिसकी नकल उनके द्वारा पेश की गई हैं। साथ ही उक्त प्रकरण से बचने के लिए परिवादी ने झूँठा प्रकरण दर्ज करवाया है। परिवादी, मजरूबान के परिवार सदस्य हैं। इनके अतिरिक्त जो चश्मदीद साक्षी परीक्षित हुए हैं, वे पक्षद्रोही हुए हैं। मेडिकल साक्षी ने भी दौराने प्रतिपरीक्षण मजरूबान के उक्त चोटें गिरने-पड़ने से आने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने परिवादी व मजरूबान के साथ कोई मारपीट नहीं की है, बल्कि वे अभियुक्तगण के साथ मारपीट करने आये थे, तब परिवादी व मजरूबान के चोटें गिरने-पड़ने आ गई होगी। प्रतिरक्षा में उनके द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बारां में चले प्रकरण के निर्णय की प्रति पेश की गई है, जिसमें हस्तगत प्रकरण के परिवादी व मजरूबान को दोषसिद्ध किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्षी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

7. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैं:-

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनाँक 27.03.2016 को समय सुबह 07.00-08.00 बजे के लगभग मौजा नयागाँव चंद्रपुरा थाना किशनगंज में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, जिसका उद्देश्य परिवादी पक्ष के साथ मारपीट किया जाना था, का सदस्य होते हुए उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित कर परिवादी/मजरूब नरेन्द्र व अन्य आहतगण को उनकी इच्छित दिशा में जाते हुए को रोक कर सदोष अवरोध कारित कर परिवादी/मजरूब नरेन्द्र व अन्य आहतगण बालाराम, सुनीता बाई, रामनिवास व रामहेत के साथ स्वेच्छया कुंद हथियार से

मारपीट कर साधारण उपहतियाँ कारित की तथा परिवादी पक्ष पर पत्थर फैंक कर ऐसा कार्य किया, जिससे मानव जीवन या वैयक्तिक क्षैम संकटापन्न हो ?

(2) यदि हाँ, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

8. सुना गया, बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि परिवादी/मजरूब नरेन्द्र के द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने का उल्लेख है, जिसको साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाहान को पेश कर परीक्षित करवाया गया है।

9. उक्त के संबंध में परिवादी/मजरूब पी.ड.01 नरेन्द्र कुमार हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में वर्णित घटना की ताईद करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में करीब 4-5 साल पहले घर से घांसीलाल के मकान पर ट्रोली माँगने जाने, वहाँ से वापस आ रहे होने पर रास्ते में विनोद द्वारा पीछे से उसके गण्डासी से मार देने, जो उसके माथे में लगने, बबलू द्वारा कुटिया से सिर पर मारने, घर पर आने के बाद बाबूलाल, मोजीराम, देवीराम, जोधराज, रामभरत, विनोद, रामराज का आकर गाली-गलौच कर उसके घर पर पत्थर फैंकने, उसके मामा जी के साथ देवीराम द्वारा मारपीट करने, देवीराम द्वारा उसकी मामी जी के कपड़े फाड़ देने, मुलजिमान द्वारा लाठीचार्ज और पत्थर फैंकने, उसके चाचा जी को बाबूलाल और मोजीराम द्वारा लकड़ी से मारने, जिससे छाती व हाथ-पैरों में चोट आने, बालाराम के साथ थाना किशनगंज पर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 देने, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.2 व फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 व 4 पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देता है। **दौराने जिरह गवाह** इस सुझाव को स्वीकार करता है कि घटना की दिनाँक, माह, वर्ष उसे याद नहीं है तथा तहरीरी रिपोर्ट उसकी हस्तलिखित है। गवाह आगे कथन करता है कि वह घांसीलाल के मकान पर सुबह करीब 7-8 बजे अकेला गया था तथा उसे मोटरसाईकिल के नंबर याद नहीं है। गवाह इस सुझाव को गलत बताता है कि पैसे की लेन-देन की वजह से झूँठा मुकदमा दर्ज करवाया हो।

10. इस प्रकार उक्त साक्षी पी.ड.01 नरेन्द्र कुमार मीणा, जो घटना में मजरूब भी है, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में भी अपना घांसीलाल के यहाँ से ट्रोली की पूछकर वापस आते समय रास्ते में विनोद मीणा द्वारा उसके सिर में दांयी तरफ गण्डासी की मारना अंकित करता है, जिसकी ताईद गवाह पी.ड.01 नरेन्द्र कुमार मीणा अपने बयानों में पूर्णतः करता है। इस संबंध में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 की पुश्त का अवलोकन करते हैं तो परिवादी/मजरूब नरेन्द्र घटना के पश्चात पुलिस थाना किशनगंज तहरीरी रिपोर्ट पेश करता है, जिस पर समय 01.45 पी.एम. पर पृष्ठांकन किया गया है, जिसमें भी मजरूब नरेन्द्र की चोटें देखी गई तो एक चोट सिर में दांयी तरफ खून आलूदा, एक चोट बांये हाथ की कोहनी के पास का वर्णन किया गया है। गवाह पी.ड.01 नरेन्द्र कुमार मीणा ने तहरीरी रिपोर्ट व अपने मुख्य परीक्षण में विनोद द्वारा उसके सिर पर चोट मारना बताया गया है तथा घटना के तुरंत पश्चात पृष्ठांकनकर्ता द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 की पुश्त पर मजरूब की चोटों का वर्णन किया गया है। परिवादी/मजरूब नरेन्द्र के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी.12 का अवलोकन करते हैं तो उसके दांयी तरफ सिर पर चोट का वर्णन किया है, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्षी पी.ड.10 डॉ. सतीश

अग्रवाल ने अपने मुख्य परीक्षण में की है कि मजरूब नरेन्द्र के कुचला हुआ एक घाव सिर के दांयी ओर व चोट नंबर 2 बांयी कोहनी व चोट नंबर 3 बांयी अग्र भुजा पर है। परिवादी/मजरूब नरेन्द्र का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.12 भी घटना की दिनाँक को समय 02.20 पी.एम. पर मुर्तिब किया गया है। इस प्रकार परिवादी/मजरूब ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में जिन चोटों का वर्णन किया है, उन्हीं चोटों का वर्णन तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 की पुश्त पर अंकित पृष्ठांकन व चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी.12 में वर्णित है व परिवादी/मजरूब पी.ड.01 नरेन्द्र कुमार मीणा द्वारा अपने बयानों में भी उन्हीं चोटों के संबंध में कथन किया गया है, जिसकी ताईद चिकित्सकीय साक्षी पी.ड.10 डॉ. सतीश अग्रवाल करता है।

11. इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में दो बार घटना कारित हुई हैं। पहली बार परिवादी/नरेन्द्र का घांसीलाल मीणा से ट्रोली के पूछकर वापस घर पर आ रहे होने पर रास्ते में अभियुक्त विनोद द्वारा परिवादी/मजरूब नरेन्द्र के साथ कारित की गई, जिसका फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटनास्थल प्रथम प्रदर्श पी.3 है। उसके पश्चात अभियुक्तगण द्वारा परिवादी/मजरूब नरेन्द्र के घर पर आकर मारपीट की गई है, जिसकी भी ताईद परिवादी/मजरूब पी.ड.01 नरेन्द्र कुमार मीणा ने अपने बयानों में पूर्णतः होती है। गवाह पी.ड.01 नरेन्द्र कुमार मीणा अभियुक्तगण द्वारा लाठीचार्ज व मारपीट करने तथा पत्थर फैंकने का कथन करता है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा उक्त साक्षी से मारपीट के संबंध में कोई सारवान जिरह नहीं की गई है, जिससे परिवादी/मजरूब पी.ड.01 नरेन्द्र कुमार मीणा की मुख्य परीक्षा अखण्डित रही है।

12. हस्तगत प्रकरण में दूसरी घटना जो मजरूब नरेन्द्र के घर पर आकर अभियुक्तगण द्वारा की गई है, जिसका साक्षी पी.ड.02 बालाराम है, जो मजरूब होकर चश्मदीद साक्षी भी है, जो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में वर्णित प्रथम घटना परिवादी/मजरूब नरेन्द्र के बताये अनुसार बताता है, परंतु वह घटना के पश्चात मजरूब नरेन्द्र के सिर पर चोट देखता है व उसके पश्चात उक्त घटना के संबंध में बाबूलाल के घर पर पहुँचता है और घटना का उलहाना देता है। गवाह अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वहाँ पर देवीराम, मोजीराम, बाबूलाल, विनोद, बबलू सब लकड़ी, गण्डासी लेकर बैठे थे, वे कहने गए तो अभियुक्तगण ने कहा कि तुम क्या कर लोगे। ऐसा कहकर वह घर आ गया और पीछे से कुटिया, गण्डासी लेकर अभियुक्तगण गाली-गलौच कर पत्थरबाजी करने लगे। देवीराम ने उसके घर आकर उसके कुटिया से मारी। उसकी औरत बीच-बचाव करने लगी तो उसके भी देवीराम ने दांये हाथ पर कुटिया से चोट मारी। उसके कोहनी और हाथ छोटी अँगुली पर चोट लगी, खून निकल आया। फिर थाना किशनगंज में उसने व उसके भानेज नरेन्द्र ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 दर्ज करायी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह गवाह** बताता है कि घटना की रिपोर्ट थाने में पुलिस वाले से लिखवायी थी तथा उसके सामने पेन से लिखी गई थी। गवाह घटना की दिनाँक, माह, वर्ष उसे याद नहीं होना बताता है। उक्त साक्षी से भी विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा मारपीट के संबंध में कोई सारवान जिरह नहीं की गई है, जिससे उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा अखण्डित रही है।

13. गवाह पी.ड.03 रामहेत भी हस्तगत प्रकरण में चश्मदीद साक्षी होकर मजरूब भी है, गवाह पी.ड.01 नरेन्द्र के बयानों की ताईद करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में पहली घटना की ताईद करता है तथा दूसरी घटना के संबंध में अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह, उसका बड़ा भाई रामनिवास,

बालाराम, अभियुक्त बाबूलाल को कहने गए, इसी बात को लेकर मोजीराम, बाबूलाल, जोधराम, प्रकाश, रामराज, रामभरत ने पत्थर बरसाये, उसकी छाती पर पत्थर लगने से वह वहीं बेहोश होकर गिर गया था। **दौराने जिरह गवाह** घटना की दिनाँक, माह, वर्ष उसे पता नहीं होना बताता है। गवाह इस सुझाव को गलत बाता है कि वह सुनी-सुनाई बात बता रहा है। गवाह कथन करता है कि वह घटना के वक्त मौजूद था। गवाह आगे बताता है कि घटना के समय गाँव के लगभग 20-25 आदमी लड़ाई-झगड़ा होने के बाद आये थे। उक्त साक्षी से भी विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा मारपीट के संबंध में कोई सारवान जिरह नहीं की गई है, जिससे उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा अखण्डित रही है।

14. गवाह पी.ड.04 रामनिवास भी हस्तगत प्रकरण में चश्मदीद साक्षी होकर मजरूब भी है, अपनी मुख्य परीक्षा में करीब 4-5 साल पहले उसके बेटे नरेन्द्र का घांसीलाल के यहाँ ट्रोली के पूछकर वापस आ रहे होने पर रास्ते में विनोद मीणा द्वारा पीछे से गण्डासे से नरेन्द्र के सिर में मार देने, उसे नरेन्द्र द्वारा घर आकर बताने, बाबूलाल, विनोद, मोजीराम, देवीराम, जोधराज, रामभरत, रामराज और बबलू मीणा का उनके घर आकर पत्थराव करने, बालाराम व उसकी पत्नी के चोटें आने, देवीराम द्वारा घर में घुसकर बालाराम से मारपीट करने, सुनिता के साथ लामकझुमा होने, मोजीराम द्वारा पत्थर से उसके भाई रामहेत के मारने, जो उसके सीने पर लगने की साक्ष्य देता है। **दौराने जिरह गवाह** उसके बच्चे के साथ मारपीट की थी। उसे घटना के बारे में जानकारी सुबह 7-8 बजे के बीच में हुई थी। गवाह इस सुझाव को इंकार करता है कि पूरा गाँव इकठ्ठा होकर आपस में झगड़ रहा हो। उक्त साक्षी से भी विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा मारपीट के संबंध में कोई सारवान जिरह नहीं की गई है, जिससे उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा अखण्डित रही है।

15. इसी प्रकार गवाह पी.ड.05 सुनीता भी चश्मदीद साक्षी होकर मजरूबा है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में करीब 4-5 साल पहले लड़ाई-झगड़े की आवाज सुनकर बाहर निकलने, रामनिवास, रामहेत, बालाराम का बाबूलाल के घर पर उलाहाना देने जाने, इसी बात को लेकर मोजीराम, देवीराम, बाबूलाल, प्रकाश, जोधराज, रामराज, रामभरत द्वारा उसके पति, जीजा जी रामनिवास और रामहेत के साथ उनके घर पर पत्थरों व गण्डासी से मारपीट शुरू करने देने, घांसीलाल व कालूलाल द्वारा उनका बीच-बचाव करने की साक्ष्य देती है। **दौराने जिरह गवाह** उसे घटना की दिनाँक, माह, वर्ष, याद नहीं होना बताती है। गवाह आगे बताती है कि घटना के समय करीब पूरा गाँव इकठ्ठा हो रहा था, जिसमें 100-200 आदमी थे। उक्त साक्षी से भी विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा मारपीट के संबंध में कोई सारवान जिरह नहीं की गई है, जिससे उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा अखण्डित रही है।

16. अब प्रकरण में अन्य चश्मदीद गवाहान पी.ड.06 कालूलाल, पी.ड.07 धर्म सिंह व पी.ड.09 घांसीलाल हैं, जो पूर्णतः पक्षद्रोही हुए हैं और घटना से अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, जिनसे विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अवसर दिये जाने के पश्चात भी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

17. गवाह पी.ड.08 अजय नक्शा मौके का साक्षी है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में नरेन्द्र और विनोद में क्या बात हुई, उसे पता नहीं होने, नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 व 4 पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देता है। उक्त साक्षी भी पूर्णतः

पक्षद्रोही हुआ हैं, जिससे भी विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अवसर दिये जाने के पश्चात भी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

18. हस्तगत प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी पी.ड.10 डॉ. सतीश अग्रवाल को अभियोजन की ओर से पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में दिनाँक 27.03.2016 को सी.एच.सी. किशनगंज पर एम.ओ. के पद पर कार्यरत होने के दौरान एस.एच.ओ. किशनगंज के प्रतिवेदन पर मरूबान बालाराम, सुनीता बाई, रामनिवास, नरेन्द्र, रामहेत के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना करने, मजरूब नरेन्द्र के के चोट नंबर 1 कुचला हुआ घाव चमड़ी की गहराई तक सिर के दांयी ओर, चोट नंबर 2 बांयी कोहनी व चोट नंबर 3 बांयी अग्र भुजा के ऊपर होने, मजरूबान के चोटें साधारण प्रकृति व कुंद हथियार से कारित होने तथा सुसंगत फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देता है। **दौराने जिरह गवाह** चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.7, 8, 10, 12, 14 की चोटें सख्त धरातल पर गिरने से आना संभव बताता है।

19. अब अभियोजन की ओर से परीक्षित महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.11 राम सिंह मीणा, अनुसंधान अधिकारी है, जो अपने अनुसंधान की ताईद करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में दिनाँक 27.03.2016 को थानाधिकारी थाना किशनगंज पर पदस्थापित होने के दौराने नरेन्द्र द्वारा टाईपशुदा रिपोर्ट उसके समक्ष पेश करने, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ करने, दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लेखबद्ध करने, नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 व 4 मुर्तिब करने, अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने तथा सुसंगत फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देता है। **दौराने जिरह गवाह** इस सुझाव को स्वीकार किया कि इसमें क्रॉस केस दर्ज हुआ था, जिसमें रामनिवास, शंभू, रामहेत, कैलाश, बालाराम, नरेन्द्र, हरिओम, रामकुंवार, आदि मुलजिम बने थे। धारा 308, 452, 143, 323 भा.दं.सं. में प्रकरण दर्ज हुआ था। गवाह इस सुझाव को गलत बताता है कि मुकदमा नंबर 78/2016 के आरोपियों को बचाने की नीयत से यह प्रकरण संख्या 79/2016 दर्ज किया हो।

20. इस प्रकार प्रकरण में मजरूब नरेन्द्र के साथ प्रथम घटना जहाँ पर हुई, उसका वह एकमात्र साक्षी है, जो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में वर्णित घटना की पूर्णतः ताईद करता है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 की पुश्त पर गवाह पी.ड.11 राम सिंह मीणा द्वारा पृष्ठांकन किया गया है, जिसमें अंकित परिवादी/मजरूब नरेन्द्र की चोटों की ताईद मेडिकल साक्षी पी.ड.10 डॉ. सतीश अग्रवाल की साक्ष्य से होती है।

21. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह उज्र लिया है कि प्रकरण में चश्मदीद साक्षी पी.ड.02 बालाराम, पी.ड.03 रामहेत, पी.ड.04 रामनिवास व पी.ड.05 सुनीता प्रकरण में परिवादी/मजरूब नरेन्द्र की सुनी-सुनायी बात बताते हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि परिवादी/मजरूब नरेन्द्र के साथ जहाँ पर प्रथम बार घटना कारित हुई थी, उसका फर्द नक्शा मौका प्रथम प्रदर्श पी.3 बनाया गया है तथा घटनास्थल पर नरेन्द्र अकेला था, उसके सिर पर चोट लगी हुई थी, जिसकी पुष्टि स्वयं परिवादी/मजरूब नरेन्द्र करता है और उसने घर आकर सारी बात उक्त साक्षीगण को बतायी और चोटें दिखायी, जिसकी पुष्टि उक्त साक्षीगण अपने बयानों में करते हैं। यह अवश्य है कि जब प्रथम बार घटना कारित हुई थी तो उक्त साक्षी, जो हस्तगत प्रकरण में परीक्षित हुए हैं, वे प्रथम घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं हैं, परंतु परिवादी/मजरूब नरेन्द्र घटना के तुरंत बाद घर जाता है और

तब उक्त साक्षीगण ने चोटें देखी थीं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि नरेन्द्र के सिर पर चोट थी और परिवादी/मजरूब नरेन्द्र ने इसकी पूर्णतः ताईद की है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, गवाह पी.ड.01 नरेन्द्र व चिकित्सकीय साक्षी पी.ड.10 डॉ. सतीश अग्रवाल के बयानों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। इस प्रकार पी.ड.01 नरेन्द्र उक्त घटना का एकमात्र साक्षी है, परंतु उसकी साक्ष्य में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है और अन्य परिस्थितजन्य साक्ष्य से उसकी पुष्टि होती है। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

22. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह उज्र लिया है कि प्रकरण में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रकरण में मात्र एक मजरूब साक्षी है, उसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। अन्य साक्षी उसकी पुष्टि नहीं करते हैं।

23. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134** के अनुसार किसी तथ्य को साक्ष्य से साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं की गई है और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्षी को तोलना चाहिए, न की गिनना। एक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय** Ramesh Krishna madhusudan Nayar Vs State of Maharastra **2008** Cri.L.J.Page **1023 में यह अभिनिर्धारित किया है कि** "Solitary witness-- Conviction can be based on the testimony of a single witness if he is wholly reliable-- Coming to the question whether on the basis of a solitary evidence conviction can be maintained a bare reference to Section **134** of the Evidence Act **1872** (in short the Evidence Act) would suffice.The provision dearly states that no particular number of witnesses is required to establisg the case. Conviction can be based on the testimony of a single witness if he is wholly reliable. Corroboration may be necessary when he is only partially reliable. If the evidence is unblemished and beyond all possible criticism and the Court is satisfied that the witness was speaking the truth men on his evidence aline conviction can be maintained."

24. इस प्रकार उक्त न्यायिक नजीर में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि एकल साक्षी की साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय हो तो संपोषक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में परिवादी/मजरूब पी.ड.01 नरेन्द्र स्वयं घटना की पूर्णतः ताईद करता है और इस गवाह के बयान व प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिससे उसकी साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न होता हो। इस प्रकार अभियोजन यह पूर्णतः साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त विनोद व बबलू द्वारा परिवादी/मजरूब नरेन्द्र के साथ मारपीट की गई थी। **अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त उज्र माने जाने योग्य नहीं है।**

25. साथ ही प्रथम घटना के पश्चात अभियुक्तगण द्वारा परिवादी/मजरूब के घर पर आकर जो मारपीट की गई है, उसकी पूर्णतः ताईद गवाह पी.ड.01 नरेन्द्र ने की है। साथ ही अन्य गवाह पी.ड.02 बालाराम, पी.ड.03 रामहेत, पी.ड.04 रामनिवास व पी.ड.05 सुनीता जो प्रकरण में मजरूबान होकर चश्मदीद साक्षी हैं, उन्होंने भी अपने बयानों में घटना की पूर्णतः ताईद की है। उक्त साक्षीगण

से विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा मारपीट के संबंध में कोई जिरह नहीं की गई है।

26. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने गवाह डी.ड.01 बाबूलाल को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उनके साथ उनके घर में घुसकर रामनिवास, रामहेत, बालाराम, नरेन्द्र, सुनिता ने मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट करवायी और उसका बारां केस चल रहा है। मुलजिमान के खिलाफ जो मुकदमा चला था, उसके कागजात एम.एल.सी. रिपोर्ट मजरूब मोजीराम प्रदर्श डी.1, निर्णय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 2 बारां दिनाँक 12.03.2019 की प्रमाणित कॉपी प्रदर्श पी.2, जिला एवं सेशन न्यायालय बारां की ऑर्डरशीट दिनाँक 26.07.2016 से लगायत 12.06.2017 तक प्रमाणित कॉपी प्रदर्श डी.3, चार्जशीट प्रदर्श डी.4, एफ.आई.आर. प्रदर्श डी.5, फर्द जप्ती साफी खून आलूदा पेशकर्ता मोजीराम की प्रमाणित कॉपी प्रदर्श डी.7 व नक्शा मौका प्रदर्श डी.8 प्रदर्शित करवाया गया है। **दौराने जिरह गवाह** इस सुझाव को स्वीकार करता है कि उसने आज जो प्रदर्श पेश किए हैं, उनमें क्या लिखा-पढ़ी हो रखी है, यह उसे पता नहीं है तथा उनका और रामनिवास का मकान आमने-सामने हैं।

27. उक्त के संबंध में यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना दिनाँक 27.03.2016 की है। हस्तगत प्रकरण में भी दिनाँक 27.03.2016 की है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौका प्रदर्श डी.8 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.4 का अवलोकन करते हैं तो उक्त दोनों नक्शे मौके समान हैं। इस प्रकार विनोद के द्वारा नरेन्द्र के साथ मारपीट करने के पश्चात यह संभव है कि दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई हो, परंतु गवाह डी.ड.01 बाबूलाल ने यह कथन नहीं किया है कि हस्तगत प्रकरण के परिवादी व मजरूबान प्रकरण में अग्रसर पक्षकार थे और उनके प्रकोपन के परिणामस्वरूप उनके द्वारा मजरूबान के साथ मारपीट की गई हो, जबकि मजरूब के शरीर पर चोटें आयी हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं गवाहान व मेडिकल साक्षी से होती है।

28. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उज्र लिया है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित चश्मदीद साक्षी पी.ड.06 कालूलाल, पी.ड.07 धर्म सिंह व पी.ड.09 घांसीलाल पक्षद्रोही हुए हैं, शेष चश्मदीद साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि मात्र हितबद्ध साक्षी या पारिवारिक साक्षी होने के आधार पर उनकी साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता, बल्कि उनकी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 के वर्णित तथ्यों, गवाह पी.ड.01 नरेन्द्र, पी.ड.02 बालाराम, पी.ड.03 रामहेत, पी.ड.04 रामनिवास व पी.ड.05 सुनीता की साक्ष्य में पूर्णतः समरूपता है, जिनमें किसी प्रकार को कोई विरोधाभास प्रतीत नहीं होता है। साथ ही विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा उक्त गवाहान से मारपीट के संबंध में कोई सारवान जिरह नहीं की गई है। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

29. अतः अभियेाजन यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनाँक 27.03.2016 को समय सुबह 07.00-08.00 बजे के लगभग मौजा नयागाँव चंद्रपुरा थाना किशनगंज में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ

विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, जिसका उद्देश्य परिवादी पक्ष के साथ मारपीट किया जाना था, का सदस्य होते हुए उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित कर परिवादी/मजरूब नरेन्द्र व अन्य आहतगण को उनकी इच्छित दिशा में जाते हुए को रोक कर सदोष अवरोध कारित कर परिवादी/मजरूब नरेन्द्र अन्य आहतगण बालाराम, सुनीता बाई, रामनिवास व रामहेत के साथ स्वेच्छया कुंद हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियाँ कारित की। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 147, सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

30. अब प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा 336 भा.दं.सं. का आरोप है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान ने यह कथन किया है कि अभियुक्तगण ने परिवादी व मजरूबान के ऊपर पत्थर फैंके थे। धारा 336 भा.दं.सं. का आरोप तब गठित होता है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य उपेक्षा एवं उतावलेपन से करे, जिससे मानव जीवन या वैयक्तिक क्षैम संकटापन्न हो। हस्तगत प्रकरण में जो पत्थर फैंके गए हैं, वह आशायपूर्वक मजरूबान को उपहति कारित करने के लिए फैंके गए थे, न कि उनके द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से कार्य करते हुए मानव जीवन या वैयक्तिक क्षैम को संकटापन्न करने के लिए फैंके गए थे।

31. अतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनाँक 27.03.2016 को समय सुबह 07.00-08.00 बजे के लगभग मौजा नयागाँव चंद्रपुरा थाना किशनगंज में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी पक्ष पर पत्थर फैंक कर ऐसा कार्य किया, जिससे मानव जीवन या वैयक्तिक क्षैम संकटापन्न हो। अतः अभियुक्तगण विनोद, बाबूलाल, मोजीराम, प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश व जोधराम को अरोपित अपराध अंतर्गत धारा 336 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से **साक्ष्य के अभाव** में **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

32. अतः **अभियुक्तगण क्रम 01.** विनोद पुत्र बाबूलाल, उम्र 29 वर्ष, **02.** बाबूलाल पुत्र बजरंगलाल, उम्र 60 वर्ष, **03.** मोजीराम पुत्र बजरंगलाल, उम्र 55 वर्ष, **04.** प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण, उम्र 55 वर्ष, व **05.** जोधराम पुत्र बजरंगलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासीगण- नयागाँव चंद्रपुरा, थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) को आरोपित **अपराध अंतर्गत धारा 336 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोपों से **साक्ष्य के अभाव** में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है तथा **अभियुक्तगण क्रम 01.** विनोद पुत्र बाबूलाल, उम्र 29 वर्ष, **02.** बाबूलाल पुत्र बजरंगलाल, उम्र 60 वर्ष, **03.** मोजीराम पुत्र बजरंगलाल, उम्र 55 वर्ष, **04.** प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण, उम्र 55 वर्ष, व **05.** जोधराम पुत्र बजरंगलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासीगण- नयागाँव चंद्रपुरा, थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) को आरोपित **अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, सपठित धारा 149, 147 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)

- सजा के बिंदु पर सुनवाई -

33. सजा के बिंदु पर उभयपक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस तर्क दिए हैं कि अभियुक्तगण लगभग 10 वर्षों से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण परिवार में अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं। जेल जाने से उसके परिवार व स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा। अभियुक्तगण बाबूलाल, मोजीराम व प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश वृद्ध हैं। अभियुक्तगण विनोद व जोधराम नवयुवक हैं। अभियुक्त विनोद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। अभियुक्तगण को पूर्व में किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है। अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्तगण पर परिवादी/मजरूब व अन्य आहतगण के साथ मारपीट कर उनके शरीर पर साधारण उपहति कारित करने का गंभीर आरोप है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ न दिया जाकर अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

34. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे यह जाहिर आता है कि पत्रावली पर अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धी की कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं है, जिसके जेल में रहने से उनके भविष्य पर विपरीत असर पड़ेगा। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अभियुक्त को पूर्व में किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं करने एवं परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिए जाने के संबंध में कथन किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, सपठित धारा 149, 147 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने के उपरांत आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध होने एवं परिवीक्षा का लाभ पूर्व में नहीं देने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर तस्दीक करावे तथा **अभियुक्तगण प्रत्येक अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(1) के तहत 01 वर्ष 06 माह की अवधि हेतु दस हजार रूपये की जमानत व इसी राशि का बंधपत्र** इन शर्तों के साथ पेश कर तस्दीक करा दें कि वे उक्त अवधि में सदाचारी रहेंगे, परिशांति बनाये रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे एवं बंधनामा की शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा सजा भुगतने हेतु तलब करने पर तुरंत न्यायालय में उपस्थित हो जावेंगे, तो उन्हें सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

35. **परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत अभियुक्तगण प्रत्येक पर 2,500-2,500/- रूपये कुल 12,500/- रुपये (कुल अक्षरे- बारह हजार पाँच सौ रूपये) अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाता है।**

36. **धारा 357 सीआर.पी.सी. के तहत जुर्माना राशि में से परिवादी/मजरूब नरेन्द्र को 4,000/- रुपये, मजरूब बालाराम को 3,000/- रुपये, रामनिवास को 3,000/- रुपये व सुनीता को 2,000/- रुपये बतौर प्रतिकर मजरूब/परिवादी को दिलवाए जावें। प्रतिकर की राशि बाद गुजरने मियाद अपील मजरूबान को दिलवायी जावेगी, इसके संबंध में मजरूबान को अविलंब तहरीर जारी हो।**

37. साथ ही धारा 12 परीविक्षा अधिनियम के अनुसार इस दोषसिद्धी से अभियुक्तगण के भविष्य में किसी भी निहर्रता से ग्रसित नहीं होंगे।

38. अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थित होने बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण को धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरूद्ध दाखिल किसी अपील या याचिका के संबंध में अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में दस-दस हजार रूपये की प्रतिभूति सहित बंधपत्र पेश करने के आदेश भी दिये जाते है। उक्त जमानत पत्र 06 माह तक प्रवृत्त रहेंगे।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

39. निर्णय आज दिनाँक 10.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बारां (राज.)